



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 17, 2014/पौष 27, 1935

No. 20]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 17, 2014/PAUSHA 27, 1935

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2014

सा.का.नि. 27(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग में सेवारत व्यक्तियों के संबंध में नियंत्रक और महालेख परीक्षक के साथ परामर्श करके मूल नियम, 1922 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मूल (प्रथम संशोधन) नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मूल नियम, 1922 के नियम 56 में,—

(क) खंड (ट) के उपखंड (1) में, मद (ग) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(ग) समुचित प्राधिकारी को किसी सरकारी सेवक की अनुज्ञा रोकने की छूट होगी, जो इस खंड के अधीन सेवानिवृत्ति चाहता है, यदि :-

(i) सरकारी सेवक निलंबनाधीन है, या

(ii) आरोप पत्र जारी किया जा चुका है और अनुशासनिक कार्यवाहियां लंबित हैं, या

(iii) न्यायिक कार्यवाहियों में उस पर गंभीर अवचार के आरोप लगे हुए हैं जो लंबित हैं।

**स्पष्टीकरण** :- इस खंड के प्रयोजन के लिए न्यायिक कार्यवाहियां लंबित समझी जाएंगी, यदि किसी पुलिस अधिकारी की कोई शिकायत या रिपोर्ट को जिसे मजिस्ट्रेट ने संज्ञान में लिया है या आपराधिक कार्यवाहियां फाइल की गई हैं।”

(ख) खंड (ड) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(ड) समूह ‘ग’ पद में ऐसा सरकारी सेवक जो किसी भी पेंशन नियम द्वारा शासित नहीं होता हो, समुचित प्राधिकारी को लिखित में तीन मास से अत्यून अवधि की सूचना देकर, तीस वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात् सेवा से सेवानिवृत्त हो सकेगा :

परंतु समुचित प्राधिकारी को किसी सरकारी सेवक की अनुज्ञा रोकने की छूट होगी, जो इस खंड के अधीन सेवानिवृत्ति चाहता है, यदि :-

- (i) सरकारी सेवक निलंबनाधीन है, या
- (ii) आरोप पत्र जारी किया जा चुका है और अनुशासनिक कार्यवाहियां लंबित हैं, या
- (iii) न्यायिक कार्यवाहियों में उस पर गंभीर अवचार के आरोप लगे हुए हैं जो लंबित हैं ।

**स्पष्टीकरण :-** इस खंड के प्रयोजन के लिए न्यायिक कार्यवाहियां लंबित समझी जाएंगी, यदि किसी पुलिस अधिकारी की कोई शिकायत या रिपोर्ट को जिसे मजिस्ट्रेट ने संज्ञान में लिया है या आपराधिक कार्यवाहियां फाइल की गई हैं ।”

[सं. 25013/3/2010-स्था. (ए-IV)]

ममता कुन्दा, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** मूल नियम, 1922 में प्रकाशित किए गए थे और 1 जनवरी, 1922 को प्रवृत्त हुए तथा तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए, अर्थात् :-

वित्त मंत्रालय :

1. अधिसूचना संख्या 12(2) अ. V./ (ग)-63 तारीख 21-7-1965
2. अधिसूचना/ संख्या 7(10) अ. V./63 तारीख 23-7-1966
3. अधिसूचना संख्या 7(6) अ. V./68 तारीख 8-7-1968
4. अधिसूचना संख्या 7(2) अ. V./67-I तारीख 17-5-1969
5. अधिसूचना संख्या 7(2) अ. V./69-I तारीख 26-5-1969
6. अधिसूचना संख्या 7(14) अ. V. 67-I तारीख 26-5-1969
7. अधिसूचना संख्या 7(7) अ. V. (क)-74 तारीख 7-2-1975
8. अधिसूचना संख्या 7(8) अ. V. (क)-77 तारीख 20-8-1977

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग :

9. अधिसूचना संख्या 19017/7/79-स्था.(क) तारीख 30-11-1979
10. अधिसूचना संख्या 25013/4/80-स्था.(क) तारीख 11-9-1981
11. अधिसूचना संख्या 15013/4/80-स्था.(क) तारीख 12-6-1982
12. अधिसूचना संख्या 26012/14/83-स्था.(क) तारीख 11-10-1983
13. अधिसूचना संख्या 25013/25/83-स्था.(क) तारीख 25-2-1984

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग :

14. अधिसूचना संख्या 25013/25/83-स्था.(क) तारीख 2-7-1985
15. अधिसूचना संख्या 25013/25/87-स्था.(क) तारीख 7-10-1988
16. अधिसूचना संख्या 25013/25/87-स्था.(क) तारीख 11-5-1989
17. अधिसूचना संख्या 25012/2/86-स्था.(क) तारीख 30-8-1993
18. अधिसूचना संख्या 28020/1/96-स्था.(क) तारीख 9-2-1998

19. अधिसूचना संख्या 25012/2/97-स्था.(क) तारीख 13-5-1998 [सा.का.नि. सं. 248(अ) 13-5-1998]
20. अधिसूचना संख्या 25012/2/97-स्था.(क) तारीख 27-5-1998 [सा.का.नि. सं. 276(अ) 27-5-1998]
21. शुद्धि पत्र सं. 25012/2/97-स्था.(क)(i) तारीख 12-11-1998
22. शुद्धि पत्र सं. 25012/2/97-स्था.(क)(ii) तारीख 12-11-1998
23. अधिसूचना संख्या 25012/2/97-स्था.(क) तारीख 8-12-1998 [सा.का.नि. सं. 724(अ) 8-12-1998]
24. अधिसूचना संख्या 25012/2/97-स्था.(क) तारीख 25-1-1999 [सा.का.नि. सं. 49(अ) 25-01-1999]
25. अधिसूचना संख्या 24012/4/01-स्था.(क) तारीख 4-7-2001 [सा.का.नि. 506(अ) 4-7-2001]
26. अधिसूचना संख्या 25012/2/97-स्था.(क) तारीख 27-2-2002 [सा.का.नि. सं. 117(अ) 27-2-2002]
27. अधिसूचना संख्या 26012/3/05-स्था.(क) तारीख 27-9-2005 [सा.का.नि. सं. 613(अ) 27-9-2005]
28. अधिसूचना संख्या 26012/3/05-स्था.(क) तारीख 29-5-2006 [सा.का.नि. सं. 322(अ) 29-5-2006]
29. अधिसूचना संख्या 25012/5/07-स्था.(क) तारीख 4-1-2007 [सा.का.नि. सं. 9(अ)]
30. अधिसूचना संख्या 25012/5/07-स्था.(क) तारीख 17-10-2007 [सा.का.नि. सं. 668(अ)]
31. अधिसूचना संख्या 26012/5/09-स्था.(क) तारीख 26-3-2009 [सा.का.नि. सं. 203(अ)]
32. अधिसूचना संख्या 26012/12/10-स्था.(क-IV) तारीख 26-5-2010 [सा.का.नि. सं. 448(अ)]
33. अधिसूचना संख्या 25012/5/09-स्था.(क) तारीख 26-10-2010 [सा.का.नि. सं. 859(अ)]
34. अधिसूचना संख्या 26012/18/10-स्था.(क-IV) तारीख 8-12-2010 [सा.का.नि. सं. 958(अ)]